न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व वाद संख्याः 52/2019 दायर दिनाँक 05.02.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुशीलकुमार कामदार पुत्र स्वर्गीय बोदूलाल, जाति—महाजन, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीप्रकाश पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 2. निरंजनकुमार पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 3. शिवप्रसाद पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 4. गोपालप्रसाद पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 5. बिदामीदेवी पत्नी स्वर्गीय हजारीमल, समस्त,जाति—महाजन (कामदार), निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. हजारीमल पुत्र जीवनमल, जाति—जांगिड़, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. मदनलाल पुत्र जमनालाल, जाति—नाई, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. नायब तहसीलदार, मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः—

1. श्री रघुवीरसिंह शेखावत, वकील, वादी।

दिनाँक 22.02.2019

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 52/2019
दायर दिनाँक 05.02.2019, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
सुशीलकुमार बनाम् श्रीप्रकाश, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07, डाबड़ा गाँव के स्थाई निवासी हैं, जो सभी खेतीहर मजदूर व्यक्ति एवं कामकाजी महिला हैं जबकि प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 राज्य–सरकार के प्रतिनिधि हैं। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 एक ही परिवार एवं वंश के सदस्य हैं।

सरहद डाबड़ा की काँकड़ में खेत खसरा नम्बर 195 रकबा 01.09 बीघा भूमि हैं जिसकी खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत् 2072–2075 पेश है जो दावे का भाग है।

वादग्रस्त भूमि में वादी के 1/2 हिस्सा भूमि बन्ट में आती है तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 की भूमि है।

वादग्रस्त भूमि रकबा 01.09 बीघा जरिये इकरारनामा के बैचाण दिनाँक 07.10.1991 को वादी के पिता बोदूलाल कामदार पुत्र लादूराम कामदार के हक में कर दिया था जिसमें से भाई बन्टवारे के अनुसार वादी के बन्ट में रकबा 0.15 बीघा भूमि आती है जिस पर वादी काबिजकाश्त है व इस भूमि की खातेदारी अपने हक में घोषित चाहता है। मौके पर वादी जिस हिंस्से पर काबिजकाश्त है उसे नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित किया गया है जो दावे का अहम् भाग है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद डाबड़ा में खसरा नम्बर 195 रकबा 01.09 बीघा भूमि के हिस्से 1/2 भाग में से रकबा 0.15 बीघा भूमि की खातेदारी नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित माफिक वादी के हक में घोषित की जावे तथा रकबे की शेष खातेदारी बदस्तूर रखी जावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उपखण्ड कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" प्रदर्श–01, जमाबन्दी ग्राम डाबड़ा सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 340/324 खसरा नम्बर 195 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–02, इकरारनामा प्रदर्श–03, मौके की फोटोज प्रदर्श–04 ता 08, पानी के बिल की रसीद प्रदर्श–09 व 10, पेश है।

दस्तावेजी साक्ष्य वादी में, वादी स्वयं का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. पी.डब्ल्यू–01, मदनलाल पुत्र जमनालाल जाति नाई निवासी डाबड़ा का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. पी.डब्ल्यू–02, हजारीलाल पुत्र जीवणलाल जाति जांगिड़ निवासी डाबड़ा का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. पी. डब्ल्यू–03, पेश हुए।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि, वादी के पिता बोदूलाल कामदार पुत्र लादूराम कामदार को प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि का 1/2 भाग का बैचाण जरिये इकरारनामा के दिनाँक 07.10.1991 को बैचाण कर दी थी व उसका कब्जा भी सम्भला दिया था जिसमें से रकबा 0.15 बीघा भूमि भाईबन्टवारे के अनुसार वादी के बन्ट में आई है जिस पर वादी का कब्जाकाश्त शुरू से लेकर आज दिन तक मौके निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। अतः इस भूमि रकबा 0.15 बीघा की खातेदारी वादी के हक में घोषित की जाकर उसी अनुसार बन्टवारा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 52/2019
दायर दिनाँक 05.02.2019, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
सुशीलकुमार बनाम् श्रीप्रकाश, वगैरा।

संख्या 01 ता 05 का नाम उक्त खसरा नम्बर की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वाद में किसी पक्षकार की कोई आपत्ति–एतराज पेश नहीं है। सरहद डावड़ा के खसरा नम्बर 195 रकबा 01.09 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से में से रकबा 0.15 बीघा की खातेदारी वादी चाहता है जिसमें कोई आपत्ति पेश नहीं है। लिहाजा, सरहद डावड़ा के खसरा नम्बर 195 रकबा 01.09 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से में से रकबा 0.15 बीघा की खातेदारी वादी के हक में घोषित की जाना अज अदालत को जायज लगता है। अतः वाद विवेचन वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डावड़ा में वादग्रस्त खसरा नम्बर 195 रकबा 01.09 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ"/प्रदर्श–01 में दर्शित भूमि माफिक खातेदारी आदेश इस कदर पारित किया जाता है, कि–

1. रकबा 0.15 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रकबे की शेष खातेदार बदस्तूर रखी जाती है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे वादी की कब्जासुदा भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न करे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ"/प्रदर्श–01, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तहसीलदार डीडवाना को निर्देश है कि, रकबा 0.15 बीघा भूमि का नियमानुसार पंजीयन शुल्क जमा करवाया जाकर ही वादी के नाम से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 22.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 52/2019 दायर दिनाँक 05.02.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुशीलकुमार कामदार पुत्र स्वर्गीय चांदूलाल, जाति—महाजन, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीप्रकाश पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 2. निरंजनकुमार पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 3. शिवप्रसाद पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 4. गोपालप्रसाद पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 5. बिदामीदेवी पत्नी स्वर्गीय हजारीमल, समस्त,जाति—महाजन (कामदार), निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. हजारीमल पुत्र जीवनमल, जाति—जांगिड, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. मदनलाल पुत्र जमनालाल, जाति—नाई, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. नायब तहसीलदार, मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक 22.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रघुवीरसिंह शेखावत, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

सादिर कर, वाके सरहद डाबड़ा में वादग्रस्त खसरा नम्बर 195 रकबा 01.09 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ"/प्रदर्श–01 में दर्शित भूमि माफिक खातेदारी आदेश इस कदर पारित किया जाता है, कि–

1. रकबा 0.15 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रकबे की शेष खातेदार बदस्तूर रखी जाती है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे वादी की कब्जासुदा भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न करे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ"/प्रदर्श–01, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तहसीलदार डीडवाना को निर्देश है कि, रकबा 0.15 बीघा भूमि का नियमानुसार पंजीयन शुल्क जमा करवाया जाकर ही वादी के नाम से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

मीज.........–......... मुबलिंग...........–.............. बाबत............ ....–...................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **22.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—52—2019 / रीडर / 2019 / 201 दिनाँक 26/7/19

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः — निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुशीलकुमार कामदार पुत्र स्वर्गीय बोदूलाल, जाति—महाजन, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. श्रीप्रकाश पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, जाति—महाजन (कामदार), निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner